

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
:: आदेश ::

का0आ0-15/बि0स0से0-20-03/2018 सा0प्र0...../पटना-15, दिनांक.....

वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-4685, दिनांक 25.06.2003, 1802 दिनांक 23.03.2006, संकल्प ज्ञापांक-7566 दिनांक 14.07.2010, वित्त विभागीय संकल्प 3590 दिनांक 24.05.2017, तथा वित्त विभागीय पत्रांक 8891 दिनांक 14.11.2017 एवं कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सामान्य प्रशासन विभाग) का संकल्प ज्ञापांक-390 दिनांक 31.01.2007 तथा संकल्प ज्ञापांक-7043, दिनांक 31.10.2008 के आलोक में बिहार सचिवालय सेवा के निम्नांकित कर्मियों को बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली, 2010 के प्रावधानों के तहत उनके नाम के सामने स्तंभ-3 में अंकित तिथि से अपुनरीक्षित वेतनमान वेतन बैंड-रू0 9300-34800/- + ग्रेड वेतन-रू0 5400/-, पुनरीक्षित वेतनमान लेवल-9 में द्वितीय वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र0 सं0	नाम/पदनाम/वरीयता क्रमांक/विभाग का नाम	द्वितीय वित्तीय उन्नयन की तिथि
1	2	3
1	श्री अरविन्द्र कुमार सिंह, प्रशाखा पदाधिकारी, 57 (भाग-2) 14.11.1958/30.11.2018 जल संसाधन विभाग	08.06.2014
2	श्री अम्बिका प्रसाद दास, प्रशाखा पदाधिकारी (477 भाग-2) 29.04.1960/30.04.2020 मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधक विभाग	08.06.2014
3	श्री अजीत कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी, 379(भाग-2), 05.01.1963/31.01.2023 जल संसाधन विभाग	29.12.2015
4	श्री अनिल कुमार, सेवानिवृत्त सहायक, 355/भाग-2 31.01.1958/31.01.2018 शिक्षा विभाग	13.12.2015
5	श्री शंभू चौधरी, प्रशाखा पदाधिकारी, 300/भाग-2 15.10.1962/31.10.2022 ग्रामीण कार्य विभाग	01.06.2018
6	श्री शिव प्रसाद राम, सेवानिवृत्त अवर सचिव 2781, 24.02.1558/28.02.2018 नगर विकास एवं आवास विभाग	01.01.2009
7	श्री मनबोध कुमार गुप्ता, 183/भाग-2 प्रशाखा पदाधिकारी, 21.05.1959/31.05.2019 आयुक्त कार्यालय, सारण प्रमंडल, छपरा।	01.07.2014

8	श्री सुरेश कुमार विद्यार्थी, 3144 सहायक, 20.01.1959 / 31.01.2019 पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय, दरभंगा।	22.09.2010
9	श्री कृष्णकान्त प्रसाद सिंह, सहायक, 142 (भाग-2) 05.08.1965 / 31.08.2025 कला संस्कृति एवं युवा विभाग	10.06.2014 के बदले 01.07.2018 से (दंड के कारण)
10	श्रीमती संध्या वर्मा, सहायक-3239, 04.03.1962 / 31.03.2022 उद्योग विभाग	16.10.2010 के बदले 01.07.2018 से (दंड के कारण)

2. सहायक संयुक्त सम्वर्ग के गठन के बाद उनके प्रशासी विभाग द्वारा की गयी सेवा सम्पुष्टि नियमानुकूल नहीं है। अतः प्रशासी विभाग इस संबंध में आश्वस्त हो लें और यदि ऐसा है तो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सेवा सम्पुष्टि कराने के उपरान्त ही उनका वेतन निर्धारण किया जाय।

3. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या 566 दिनांक 18.10.1995 निर्गत किये जाने के पश्चात सहायक संयुक्त सम्वर्ग के कर्मियों को उनके तत्कालीन प्रशासी विभाग द्वारा परीक्षा से विमुक्ति प्रदान किया जाना नियमानुकूल नहीं है। अतः प्रशासी विभाग इस संबंध में आश्वस्त हो लें और यदि ऐसा है तो सामान्य प्रशासन विभाग से विभागीय परीक्षा से विमुक्ति संबंधी उक्त आदेश की सम्पुष्टि कराने के उपरान्त ही उनका वेतन निर्धारण किया जायेगा।

4. वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या-1802 दिनांक 23.03.2006 में निहित प्रावधान के अलोक में वेतन का निर्धारण यथास्थिति मौलिक नियमावली के नियम 22 (I) ए (I) अथवा वित्त विभागीय संकल्प संख्या 630 दिनांक 21.01.2010 की कंडिका 12 में निहित प्रावधान के अनुसार किया जाएगा।

5. उपर्युक्त के अलोक में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर उक्त कर्मियों को प्रदत्त एम0 ए0 सी0 पी0 योजना के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जाएगा तथा उन्हें भुगतान की गयी राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जाएगी।

ह0/-

(सिद्धेश्वर चौधरी)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-15/बि0स0से0-20-03/2018 सा0प्र0...../पटना-15, दिनांक.....

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार पटना/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-15/बि0स0से0-20-03/2018 सा0प्र0...12528...../पटना-15, दिनांक...17.09.18

प्रतिलिपि :-संबंधित सभी विभाग/विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ संबंधित कर्मियों को अपने स्तर से आदेश की प्रति उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सरकार के अवर सचिव